1

फर्द अहकाम

न्यायालयः— **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण**

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या— /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांकः—15.09.2021 प्रार्थीया **सरोज कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी चनणसिंह निवासी भादरिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर** की ओर से प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में अधिवक्ता **श्री रघुनाथसिंह पड़िहार** ने पेश किया। प्रार्थना—पत्र की नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। प्रकरण फौजदारी विविध दर्ज रजिस्टर हो। सुपुर्दगी के उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने सुपुर्दगी प्रार्थना—पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीया के गहने मिनी आड 18.5 ग्राम, रखड़ी 6 ग्राम, आरंग पत्ते मय सांकली 25 ग्राम, अंगूठी लेडीज 02.5 ग्राम अंगूठी लेडीज 03.9 ग्राम कानों के लूंग 1.1 ग्राम, मंगलसूत्र 4.1 ग्राम, मेरी सांकली 18.5 ग्राम, सुई धागा (टोपस सांकली) 9.7 ग्राम, अंगूठी जेन्ट्स 4.1 ग्राम व अंगूठी जेन्ट्स 6.8 ग्राम पुलिस थाना लाठी में जब्त है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश हो चुका है। उक्त सामान पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त सामान थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने का अंदेशा है, सामान की अनुसंधान में पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीया को जब्तशुदा सामान सुपुर्दगी पर देने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में **दिनांक 16.04.2021** को आरोप पत्र पेश हो चुका है। थाने में पड़े रहने से सामान के खराब होने की संभावना है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी का यह प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी का यह प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया यदि रूपये **5,00,000/ अक्षरे पांच लाख रूपए** का जमानतनामा व इसी	

	कदर राशि का सुपुर्दगीनामा इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह प्रकरण के निस्तारण तक जब्त सुदा सामान को किसी अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करेगी तथा रंग रोगन, स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी व जब भी न्यायालय तलब करेगा जब्तसुदा सामान को स्वयं के खर्चे पर पेश कर देगी, तो जब्तसुदा सामान को प्रार्थीया को **फर्द पंचनामा मय रंगीन फोटो ग्राफी करवाकर** बऐवज रसीद लौटा दिया जावे। रसीद इस न्यायालय को लौटाई जावे। (परवेज अहमद) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण। माफिक आदेशानुसार जमानतनामा, सुपुर्दगीनामा पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये। सामान का सुपुर्दगी आदेश पुलिस थाना **लाठी** को जारी किया जावे कि उक्त **सामान** अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो फर्द जब्ती अनुसार **फर्द पंचनामा मय रंगीन फोटो ग्राफी करवाकर** बएवज रसीद प्रार्थीया को लौटा दिया जावे। रसीद इस न्यायालय को लौटाई जावे। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (परवेज अहमद) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण।	